



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक,
संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय/विभाग/पी.जी. स्कूल्स,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

अत्यावश्यक

क्रमांक: उ.कु. गोपनीय/2024/

दिनांक:

विषय: स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र) व आनन्दम विषय (केवल नियमित परीक्षार्थियों हेतु) की प्रायोगिक/आन्तरिक विषयों की परीक्षा-2024 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विद्यार्थियों को छोड़कर) के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि स्नातक/स्नातकोत्तर (नियमित/स्वयंपाठी/पूर्व छात्र) व आनन्दम विषय (केवल नियमित परीक्षार्थियों हेतु) की प्रायोगिक/आन्तरिक मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय पोर्टल www.univraj.org पर College Pannel के माध्यम से दिनांक 15.05.2024 से दिनांक 30.05.2024 तक अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशानुसार परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी सुनिश्चित करें:-

1. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जावेगा।
2. छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा बाह्य व आन्तरिक परीक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न-पत्र तैयार कर ली जावेगी तथा एक परीक्षक द्वारा अधिकतम 100 (119 से अधिक नहीं) छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा ली जा सकेगी।
3. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा उसे Decline कर एवं उसकी सूचना ई-मेल आई.डी. drsecyurj@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. परीक्षक के परीक्षा लेने से मना (Declined) करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाये। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जावेगी।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में महाविद्यालय बाह्य परीक्षक से लिखित में असहमति (वाट्सअप/ई-मेल/पत्र/टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से) प्राप्त होने तक बाह्य परीक्षक को decline नहीं करें तथा बाह्य परीक्षक द्वारा लिखित में असहमति नहीं दिए जाने पर कार्यालय के ईमेल आई.डी. drsecyurj@gmail.com पर सूचित कर कार्यालय के निर्देश का इंतजार करें।
6. महाविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक की बिना असहमति के यदि उसे decline किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को पूर्व नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवानी होगी साथ ही सम्बन्धित महाविद्यालय पर रुपये 20,000/- का आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित होगा। अतः महाविद्यालय सावधानीपूर्वक बाह्य परीक्षक को decline करें।
7. प्राचार्य/प्राचार्या अपने स्तर पर यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावे। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. प्रायः यह देखने में आया है कि कई छात्र प्रायोगिक परीक्षा में, समय पर सूचना प्राप्त नहीं होने अथवा परीक्षा के दिन अन्यत्र होने की स्थिति में या अस्वस्थ होने पर सम्मिलित होने से वंचित रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जावे कि प्रायोगिक परीक्षा की तिथि की सूचना छात्रों को समय पर प्राप्त हो, के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट/सूचनापट्ट पर तीन दिवस पूर्व प्रकाशित करें तथा विश्वविद्यालय ई-मेल आई.डी. drsecyurj@gmail.com पर भी आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
9. अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना-पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुये विश्वविद्यालय में संपर्क करने हेतु सूचित किया जावे।
10. महाविद्यालय में समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व छात्रों के अंकों को मैन्युअल/ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Asu

Signature

कृ.प.उ.





11. प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवाइर्स परीक्षक पैनल पर सम्बन्धित कक्षा के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे, परन्तु New TRF विकल्प का उपयोग अंकों को पोर्टल पर दर्ज करते समय तक ही किया जा सकेगा। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा स्वतः निरस्त कर दी जावेगी।
12. प्रायोगिक विषयों की परीक्षा के अंक परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षक द्वारा पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ.टी.पी. नम्बर के द्वारा अवाइर्स भरा जाना अनिवार्य है। प्रायोगिक परीक्षा की अंक सूचियों पर बाह्य परीक्षक एवं आन्तरिक परीक्षक के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों के उपस्थिति पत्रक तथा अंकसूची की एक प्रति (University Copy) निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवाइर्स भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जावेगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किये जाने पर परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जावेगा। पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता के बिलों पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर के परीक्षक को दिया जावेगा, जिन्हें परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से सम्बन्धित आई.डी. प्रूफ, आधार कार्ड एवं PAN कार्ड की प्रतिलिपि, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
14. महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित ना किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर सम्बन्धित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जावेगी। साथ ही उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
15. महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक का ऑफलाइन बिल सत्यापित ना करें। इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेट बिलों में भी किसी प्रकार से हस्तलिखित तौर (Manually) पर परीक्षार्थियों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ-साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।
16. प्रायोगिक परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं के सभी पैकेट पीले रंग के कपडे में पैक कर परीक्षा समाप्त होने के एक सप्ताह की अवधि में आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय में जमा करावें तथा पैकेट पर निम्न जानकारी आवश्यक रूप से अंकित की जावें।
महाविद्यालय का कोड व नाम
परीक्षा कोड एवं नाम
विषय कोड व प्रायोगिक परीक्षा का नाम
महाविद्यालय का नाम, पता व मोबाइल नम्बर
17. परीक्षार्थियों की कुल संख्या 20 से कम होने पर एवं महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय संचालित नहीं होने की सूचना शीघ्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।
18. प्रायोगिक परीक्षा व अवाइर्स भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध सम्बन्धित संकायवार मोबाइल नम्बरों पर कार्यालय समय में संपर्क करें। समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ईमेल आई.डी. drsecyurj@gmail.com पर सूचित करें एवं प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही आगामी कार्यवाही की जावे।
19. प्रायोगिक परीक्षायें व प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन पोर्टल/हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक सम्पन्न/दर्ज नहीं करवाये जाने पर राशि 50,000/- रु. + 20,000/- रु. प्रति छात्र आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।
20. आनन्दम पाठ्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर वार्षिक/सेमेस्टर) (केवल नियमित परीक्षार्थियों हेतु) को निम्नलिखित निर्धारित कोर्स स्कीम व मार्किंग स्कीम के अनुसार आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इस विषय से सम्बन्धित बैच आवंटन/पोर्टल पर अंक अपलोड करने के सम्बन्ध में सूचना वेबसाइट www.univraj.org पर शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी:-

3. Course Scheme-

| S.N. | Parameter | Semester Scheme (UG/PG) Max. Marks | Annual Scheme (UG/PG) Max. Marks |
|------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5. | Entries in Daily Diary | 05 | 10 |
| 6. | Synopsis of Project | 10 | 20 |
| 7. | Participation in Anandam Day | 10 | 20 |
| 8. | Report of Group Project | 25 | 50 |
| | Total | 50 | 100 |



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

4. Marking Scheme-

| Annual Scheme (UG & PG) Max. Marks-100 | Semester Scheme (UG & PG) Max. Marks-50 | Grade |
|---|--|---------|
| 90-100 | 45-50 | Grade O |
| 70-89 | 35-44 | Grade A |
| 50-69 | 25-34 | Grade B |
| <50 | <25 | Grade C |

Note: Grades obtained in Aanandam compulsory course will not be counted for Percentage/Division Purpose.

भवदीय,

sd-
(डॉ. राकेश राव)
परीक्षा नियंत्रक

दिनांक: 9.5.24

क्रमांक: उ.क. (गोप.)/2024/657-66

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. समस्त अधिष्ठाता, रा.वि.वि., जयपुर।
2. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर।
3. जन संपर्क अधिकारी, रा.वि.वि., जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
5. सहायक कुलसचिव (परीक्षा संचालन), रा.वि.वि., जयपुर।
6. सहायक कुलसचिव (तलघर-प्रथम/द्वितीय), रा.वि.वि., जयपुर।
7. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म।

Kan. d. 9.5.2024
(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव
(परीक्षा गोपनीय)